

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या — पी.आर. 79 / 2024

डी.एल.एड. पुराने पाठ्यक्रम की (विशेष) परीक्षा-2024 हेतु ऑनलाईन परीक्षा आवेदन-प्रपत्र से संबंधित द्वितीय डमी प्रवेश पत्र में त्रुटि सुधार के संबंध में आवश्यक सूचना

एतद द्वारा सत्र 2016-18 एवं 2017-19 में नामांकित प्रशिक्षुओं की सम्पन्न **डी.एल.एड. (विशेष) परीक्षा, 2020 में अनुत्तीर्ण / अनुपस्थित / निष्कासित परीक्षार्थियों** को **डी.एल.एड. (पुराना पाठ्यक्रम) विशेष परीक्षा, 2024** में सम्मिलित होने हेतु निजी प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य एवं संबंधितों को सूचित किया जाता है कि समिति की प्रसारित **विज्ञप्ति संख्या — पी.आर. 13 / 2024 एवं पी.आर. 36 / 2024** द्वारा दिनांक **15.01.2024 से 10.02.2024 तक** की अवधि में ऑनलाईन माध्यम से जमा किये गये परीक्षा आवेदन पत्र से संबंधित द्वितीय डमी प्रवेश पत्र समिति की वेबसाइट **secondary.biharboardonline.com** पर दिनांक **21.02.2024 से 24.02.2024 तक** त्रुटि संशोधन हेतु अपलोड रहेगा। संबंधित संस्थान के प्राचार्य अपने संस्थान के विद्यार्थियों का डमी प्रवेश पत्र समिति की वेबसाइट से तीन प्रति में डाउनलोड कर दो प्रति अपने हस्ताक्षर / मुहर के साथ संबंधित परीक्षार्थी को उपलब्ध करा देंगे और तीसरी प्रति अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे।

2. डमी प्रवेश पत्र में यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो संबंधित विद्यार्थी उसमें वांछित संशोधन कर अपने हस्ताक्षर के साथ अपने संस्थान के प्राचार्य को उपलब्ध करा देंगे। त्रुटि सुधार हेतु हस्ताक्षर के साथ प्राप्त डमी प्रवेश पत्र को महाविद्यालयीय अभिलेखों से मिलान कर संतुष्ट होने के उपरान्त ही संस्थान के प्राचार्य पोर्टल पर वांछित संशोधन करेंगे। निर्धारित अवधि के पश्चात् त्रुटि सुधार का कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

3. **विज्ञप्ति संख्या — पी.आर. 13 / 2024 एवं पी.आर. 36 / 2024** के क्रम में सूचित किया जाता है कि निर्धारित अवधि तक ऑनलाईन जमा किए गए परीक्षा शुल्क से संबंधित कतिपय संस्थान द्वारा जिन विद्यार्थियों का परीक्षा आवेदन पत्र जमा नहीं किया गया है, संबंधित संस्थान के प्राचार्य लंबित परीक्षा आवेदन पत्र दिनांक **21.02.2024 से 24.02.2024 तक** की अवधि में निश्चित रूप से जमा करना सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु समिति का पोर्टल खुला रहेगा। उक्त अवधि में लंबित परीक्षा आवेदन पत्र जमा नहीं करने की स्थिति में संबंधित विद्यार्थियों का मूल प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। मूल प्रवेश पत्र जारी नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप यदि विद्यार्थी हित के प्रतिकूल कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही संस्थान के प्राचार्य / विद्यार्थी की होगी।

परीक्षा नियंत्रक (विविध)